न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 132/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/280**

दायर दिनांक :– 19.06.2023 **निर्णय दिनांक :– 10.03.2025**

1. पालूदेवी पुत्री सुरताराम पत्नी सांगाराम फौत के कायम मुकाम

1/1 अम्बाराम पुत्र सांगाराम जाति मेगवाल निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

1/2 अमृतलाल पुत्र सांगाराम जाति मेगवाल निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

1/3 भंवरी पुत्र सांगाराम जाति मेगवाल निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2. पूरी पुत्री सुरताराम पत्नी नखताराम जाति मेगवाल नि. हिडालगोल तह. बाप जिला फलोदी
3. अमकू पुत्री सुरताराम पत्नी जेठाराम जाति मेगवाल निवासी सिहड़ा तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जमना पत्नी सुरताराम फौत के कायम मुकाम

1/1 बीरमाराम पुत्र सुरताराम जाति मेगवाल निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2. कमला पत्नी बीरमाराम जाति मेगवाल निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थीगण के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टाया साबित है, और प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम घटोर पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1269/3092 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पिता सोमूराम पुत्र भींयाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जो वर्तमान में अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी को प्रार्थीगण के नाम ना एव अप्रार्थी के पिता सोमूराम पुत्र भींयाराम से प्राप्त हुई जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज होने से आगे बैचान हस्तान्तरण करने का पूरा–पूरा अंदेश है। अप्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम का दुरूपयोग कर प्रार्थी के

10/3/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हिस्से की भूमि को आगे बेचान हस्तान्तरण कर देने से और प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि बेदखल कर देने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से वकील श्री राजेन्द्रसिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में सामूराम के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि अप्रार्थी जमना ने पंजीबद्व विक्रय पत्र के सोमूराम से मूल खसरा नम्बर 1269 रकबा 200 बीघा खरीद की थी। उक्त भूमि में से 25–00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ने क्रय की है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड खातेदार है। उक्त भूमि स्व अर्जित भूमि है जो एकाकी खातेदारी की है। प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया जिस से यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/3/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)